झारखण्डसरकार
श्रम, नियोजन एवंप्रशिक्षणविभाग
औद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थान, जामताड़ा।

रिक्तसीटों के विरूद्ध नामांकनसूचना

जामताड़ा जिले के अर्न्तगत NCVT द्वारा संचालित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त सीटों के विरूद्ध नामांकन की सूचना :–

निम्नांकित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में NCVT के अन्तर्गत अगस्त 2020 से प्रारंभ होने वाले सत्र में प्रत्येक संस्थान के सामने अंकितव्‍ यवसायों में प्रवेश के निमित इच्छुक महिला एवं पुरूष उम्मीदवारों से अनुसूची – ''क'' के अनुसार हस्तलिखित/टंकित आवेदन पत्र दिनांक :–30.01.2020 के अपराह्न 5:00 बजे तक प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पो0 –दखिनबहाल, जिला–जामताड़ा, पिन– 815351 के पते पर हाथोंहाथ/डाक द्वारा निम्न शर्तों के अनूरूप आमंत्रित किए जाते हैं।

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, करमाटॅंड–विद्यासागर

क्र0स0	व्यवसाय कानाम	कुल युनिट	कुल स्वीकृत सीट	रिक्त सीटों की संख्या									प्रशिक्षण अवधि
				GEN	EPC	ST	SC	BC-I	BC-II	PH	SMQ	TOTAL	
1.	विद्युत	02(NCVT)	40	01	03	08	...	...	...	...	01	**13**	दो वर्ष
2.	फीटर	02(NCVT)	40	...	04	10	...	...	...	01	01	**16**	दो वर्ष
3.	मैकेनिक डीजल	02(NCVT)	48	12	05	15	04	02	02	01	01	**42**	एक वर्ष
4.	वेल्डर	02(NCVT)	40	14	04	12	03	02	02	01	01	**39**	एक वर्ष
TOTAL			**168**	**TOTAL**								**110**	

2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जामताड़ा

क्र0स0	व्यवसाय कानाम	कुल युनिट	कुल स्वीकृत सीट	रिक्त सीटों की संख्या									प्रशिक्षणअवधि
				GEN	EPC	ST	SC	BC-I	BC-II	PH	SMQ	TOTAL	
1.	विद्युत	01(NCVT)	20	...	...	...	01	...	...	...	01	**02**	दो वर्ष
2.	फीटर	01(NCVT)	20	...	02	01	...	...	...	...	01	**04**	दो वर्ष
3.	मैकेनिक मोटर व्हीकल	01(NCVT)	24	03	02	07	02	01	01	01	01	**18**	दो वर्ष
4.	वायरमैन	01(NCVT)	20	07	02	06	01	01	01	01	01	**20**	दो वर्ष
5.	मशिनिष्ट	01(NCVT)	20	05	02	06	01	01	01	01	01	**18**	दो वर्ष
6.	मैकेनिक ट्रैक्टर	01(NCVT)	20	07	02	06	01	01	01	01	01	**20**	एक वर्ष
7.	वेल्डर	01(NCVT)	20	07	02	06	01	01	01	01	01	**20**	एक वर्ष
8.	प्लम्बर	01(NCVT)	24	09	02	07	02	01	01	01	01	**24**	एक वर्ष
TOTAL			**168**	**TOTAL**								**126**	

1. प्रवेश पाने हेतु न्युनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित है –
   (क) वायरमैन, वेल्डर तथा प्लम्बर व्यवसाय के लिए आठवाँ (8वाँ) उत्तीर्ण।
   (ख) शेष व्यवसायों के लिए माध्यमिक/10 वाँ/समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण के आधार पर ।
   (ग)नामांकन प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर नामांकन समिति के समक्ष उपस्थित होने के समय उपलब्ध सीट के आलोक में ओपेन बोर्ड प्रणाली द्वारा मैट्रिक के प्राप्तांक/मेरिट के आधार पर नामांकन नियमानुसार किया जायेगा।
2. आयु अहर्ता–
   (क) 01 जुलाई 2020 को न्युनतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष के बीच होना चाहिए।
   (ख)सैन्य कार्रवाई में मारे गये सैन्य कर्मियों के विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष।
   नोट–आयु के निर्धारण के लिए केवल माध्यमिक/10वाँ समकक्ष परीक्षा के मूल/औपबंधिक प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि ही वैद्य होगा। आठवाँ (8वाँ) स्तर के व्यवसायों के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि वैद्य होगा।
3. प्रशिक्षण के लिए शारीरिक योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवारों को लिखित आश्वासन देना होगा कि वे प्रशिक्षण की अवधि में अनुशासन का पालन करेंगे। प्रशिक्षण समाप्त होने के पूर्व प्रशिक्षण कभी भंग नहीं करेंगें।
4. प्रवेश के समय प्रशिक्षणार्थियों को 50/– (पचास रूपये) मात्र कौशन मनी के रूप में जमा करना होगा। अगर छात्रों द्वारा संस्थान का कोई सामान खो जाने या सामान को जानबुझकर तोड़ दिये जाने पर उसकी कीमत कौशन मनी से काटली जायेगी तथा अन्य उचित कार्रवाई की जायेगी।उत्तीर्ण करने के बाद छात्र एक वर्ष के अन्दर कौशन मनी वापस नहीं लेते हैं तो इसे जब्त कर लिया जायेगा और सरकारी खजाना में जमा कर दिया जायेगा। सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को कल्याण विभाग से नियमानुसार छात्रवृत्ति मिल सकती है।
6. आरक्षण अहर्ता–(क) आरक्षण का प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक– 14/नीति(आरक्षण)–04–02/2019 का0–1434/राँची, दिनांक– 15.02.2019, के अनुसार रहेगा।
   (ख) मेरिट से चुने गये आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा। बल्कि खुलीगुणा–गुण कोटि के 40 प्रतिशत रिक्तयों के विरूद्ध माना जायेगा।
7. आवासीय अहर्ता– सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वे ही उम्मीदवार नामांकन ले सकते है जो झारखण्ड राज्य के निवासी हैं, या स्थानीय निवासी के श्रेणी में आते हैं। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक – 14/स्थानीयता नीति–14–03/2016 का 4650, दिनांक– 02 जून 2016 (संकल्प संख्या – 3198 दिनांक– 18.04.16 में स्थानीय निवासी को परिभाषित किया गय है। उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी (C.O./B.D.O./D.C.) द्वारा निर्गत ऑन लाईन स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
8. जाति आधारित अहर्ता– नामांकन में झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले उम्मीदवारों को विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी (C.O./B.D.O./D.C.) द्वारा निर्गत ऑन लाईन जाति प्रमाण पत्र नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
9. आवेदन प्रपत्र के साथ स्व अभिप्रमाणित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, निवासी प्रामाण पत्र (कंडिका 7 के अनुसार), जाति प्रमाण पत्र (कंडिका 8 के अनुसार), स्वपता लिखित लिफाफा (6cmx4cm) 10/–(दस) रूपये का डाक टिकट सहित एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
10. साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों का मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
11. आवेदन पत्र एवं नामांकन हेतु दिशानिर्देश www.itijamtara.co.in एवं www.jamtara.nic.in पर देखा जा सकता है।

नोट :–1. आवेदन के लिफाफे पर जिस संस्थान के लिए आवेदित हो उसका नाम साफ एवं बड़े अक्षरों में अंकित करना अनिवार्य होगा।
2. अनुसूची ''क'' प्रपत्र संस्थान के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है। 3. किसी अभयर्थी द्वारा एक संस्थान हेतु एक ही आवेदन मान्य होगा।
4. त्रुटि पूर्ण प्राप्त आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा। साथ ही निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

07/01/2021

प्राचार्य/ नोडलपदाधिकारी
औद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थान,
जामताड़ा।

अनुसूची"क"
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र

पासपोर्ट साईज फोटो चिपकायें हस्ताक्षरयुक्त

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम :–..
(जहाँ आवेदन करना चाहते हैं)

2. उम्मीदवार का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) :–..

   (हिन्दी में) :– ....

3. (क) पिता का नाम :– ....

4. (ख) अभिभावक का नाम :–..

5. पिता /अभिभावक का पेशा :–..

6. उम्मीदवार का पूरा पता :–

   (क) स्थायी पता :– ....

   (ख) थाना :– .... गृह जिला .... पिन नं0 ....

   (ग) पत्राचार का पता :–..

   ....

   (घ)मोबाईल नं0 :– .... ई मेल :– ....

7. उम्मीदवार का निकटतम रेलवे स्टेशन :– ....

8. जन्मतिथि (प्रमाण–पत्र अभिप्रमाणित प्रति के साथ) :– ....

9. दिनांक 01 जुलाई 2020 को आयु :– ....

10. शैक्षणिक योग्यता :–
    कृपया प्रवेशिका से लेकर सभी उच्चतर परीक्षाओं का विवरण दें :–

क्र0	परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	विद्यालय/ महाविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष (वार्षिक/पूरक)	प्राप्तांक	कुल अंक	प्राप्तांक प्रतिशत	परीक्षा के विषय	अभ्युक्ति
1.									
2.									
3.									

नोट :–आवेदक सभी शैक्षणिक योग्यता सेसंबंधित प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करें।

11. क्या उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति /अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं ? :– ....

12. कोटि(GEN/BC-I/BC-II/SC/ST):– ....

13. क्या उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित हैं ? :– ....

14. क्या उम्मीदवार दिव्यांग हैं ? ....

15. पिता /अभिभावक की वार्षिक आय और परिवार के वयस्क एवं नाबालिक दोनों की अगल–अलग संख्या :– ....

    ....

16. अनुलग्नक की विवरणी :– 1) .... 2) .... 3) ....

    4) .... 5) .... 6) .... 7) ....

मैं .... पिता का नाम .... प्रमाणित करती हूँ/ करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरे द्वारा भरी गई है एवं सही है।

आवेदन देने की तिथि :– ....

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :– (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग /भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित एवं वीरगति प्राप्त सैनिक के आश्रितों को अंचल पदाधिकारी /जिला उपायुक्त/जिला सोल्जर्स बोर्ड (जो संबंधितप्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम हों) से उक्त वर्ग के होने का प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

(2) दिव्यांगों को अपना आवेदन पत्र देते समय एक फुलसाइज का फोटो देना होगा तथा जिला अस्पताल के आर्थो–पेडिक्स के विभागाध्यक्ष/ जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक (Civil Surgeon)द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।दूसरे किसी चिकित्सकों के प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी।